तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2634/2003/ टोंक सरकार बनाम केसरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थित–
श्री रामसुख चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी ।
अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी।

निर्णय

यह रेफरेन्स अति0 जिला कलेक्टर, टोंक के द्वारा अंतर्गत के द्वारा अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 10–04–2003 से राजस्व मण्डल में प्रेषित किया गया है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार देवली ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम छाजडी के आराजी खसरा नं0 3 रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ अप्रार्थी को दिनांक 06.02.83 को कर दिया गया। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त खसरा नं0 3 के हाल खसरा नंबर क्रमशः 6 व 7 बनाये गये जिसका रकबा 1.25 है0 का आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में कर उसका नामांतरकरण संख्या 38 दिनांक 03. 4.92 गैर खातेदारी एवं तत्पाश्चात नामांतरकरण संख्या 88 खातेदारी का अप्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत कर दिया गया। वर्ष 1983 इस भूमि का बीसलपुर जल परियोजना क्षेत्र में आ जाने से इसे सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अवाप्त करने के लिए केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 4 के तहत राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति जारी की गयी। धारा 4 की विज्ञप्ति के पश्चात उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी में होने के कारण किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 2–8–2004 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2634/2003/ टोंक सरकार बनाम केसरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ऐसी भूमि यदि किसी की खातेदारी में दर्ज हो गई तो उक्त किस्म की भूमि को वापस राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश पारित किये है। अतः विवादग्रस्त भूमि को पुनः बीसलपुर जल परियोजना क्षेत्र की भूमि दर्ज कर अप्रार्थी का नाम कलमजन किये जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनकर राजस्व अभिलेख से विपक्षी का नाम हटाया जाकर भूमि को पुनः बीसलपुर जल परियोजना क्षेत्र की भूमि दर्ज करने हेतु यह रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित किया है। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस रेफरेन्स प्रकरण में सुनी। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी को वर्ष 1983 में धारा 4 के तहत बीसलपुर जल परियोजना क्षेत्र के लिए अवाप्ति की घोषण की कर दी गयी थी। इसके साथ ही विवादित भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत आने से इस पर खातेदारी अधिकार देना कानून में वर्जित है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 में पारित निर्णय दिनांक 02-8-04 की पालना में इस प्रकार दर्ज की गई खातेदारी निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम छाजडी के आराजी खसरा नं0 3 रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ अप्रार्थी को दिनांक 06.02.83 को कर दिया गया। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त खसरा नं0 3 के हाल खसरा नंबर क्रमशः 6 व 7 बनाये गये जिसका	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2634/2003/ टोंक सरकार बनाम केसरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रकबा 1.25 है0 का आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में कर उसका नामांतरकरण संख्या 38 दिनांक 03.4.92 गैर खातेदारी एवं तत्पाश्चात नामांतरकरण संख्या 88 खातेदारी का अप्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत कर दिया गया। वर्ष 1983 इस भूमि का बीसलपुर जल परियोजना क्षेत्र में आ जाने से इसे सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अवाप्ति करने के लिए केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 4 के तहत राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति जारी की गयी। धारा 4 की विज्ञप्ति के पश्चात उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियमों के अन्तर्गत आ जाने से उक्त विवादित भूमि आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। इस प्रकार इन भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार देना कानून में वर्जित है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–8–04 की पालना में भी इस प्रकार की भूमियों पर निजी खातेदारी अधिकार दिया जाना संभव एवं न्यायोचित नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में दर्ज की गई खातेदारी विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेन्स स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी तथा स्वीकृत नामांतरकरण 38 व 88 को निरस्त किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के खाते में अंकित विवादग्रस्त आराजी को बीसलपुर जल परियोजना क्षेत्र की भूमि दर्ज	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2634/2003/ टोंक सरकार बनाम केसरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की सूचना योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद इन्द्राज नियमानुसार अभिलेखागार में भिजवाई जावे। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	